

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

31 जुलाई 2024

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस) – टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित जांच – निदेश का मसौदा

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस) की सुदृढता को बढ़ाने के भाग के रूप में, **08 फरवरी 2024** के **विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य** में घोषणा की गई थी कि ईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा। हाल के दिनों में, पहचान की चोरी या ग्राहक क्रेडेंशियल्स के साथ छेड़छाड़ के कारण ईपीएस के माध्यम से धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। बैंक ग्राहकों को ऐसी धोखाधड़ी से बचाने और सिस्टम की सुरक्षा में भरोसा और विश्वास बनाए रखने के लिए, ईपीएस की सुदृढता को बढ़ाना आवश्यक माना गया है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने आज ईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित जांच पर निदेशों का मसौदा जारी किया।

निदेशों के मसौदा पर टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रिया **ईमेल** या डाक द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 31 अगस्त 2024 तक या उससे पहले भेजी जाए।

(पुनीत पंचोली)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/804